<u>समाचार</u>

प्लास्टिक कैरी बैग, पी.वी.सी. बैनर फ्लैक्स आदि प्रतिबंधित

(ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय के परिपालन में आयुक्त ने जारी किया प्रतिबंध आदेश)

कोरबा 07 नवम्बर 2017 –नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत प्लास्टिक कैरी बैग एवं अल्पजीवन पी.वी.सी. तथा क्लोरीनयुक्त प्लास्टिक व विज्ञापन व प्रचार सामग्री (पी.वी.सी. के बैनर, फ्लैक्स, होडिंग्स, फोम बोर्ड आदि) तथा खानपान के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुएं (कप, ग्लास, प्लेट, बाउल, चम्मच) के विनिर्माण एवं उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली के द्वारा पारित निर्णय के परिपालन में राज्य शासन द्वारा प्रदत्त निर्देशों के तहत आयुक्त श्री रणबीर शर्मा ने प्रतिबंध आदेश जारी किया है।

यहां उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल मुख्य पीठ नई दिल्ली द्वारा याचिका क्रमांक 199/2014 द्वारा श्रीमती अलमित्रा एच.पटेल विरूद्ध यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 02.01.20117 द्वारा प्लास्टिक कैरीबैग एवं अल्पजीवन पी.वी.सी. तथा क्लोरीनयुक्त प्लास्टिक एवं विज्ञापन व प्रचार सामग्री (पी.वी.सी. के बैनर, फ्लैक्स, होडिंग्स, फोम बोर्ड आदि) तथा खानपान के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुएं (कप, ग्लास, प्लेट, बाउल, चम्मच) के विनिर्माण एवं उपयोग को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 (1986 का 29) की धारा 5 के अधीन प्रतिबंधित किया गया है, तत्संबंधी अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 27.09.2017 को प्रकाशित की गई है तथा तदानुसार छ.ग. शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय रायपुर द्वारा आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। उपरोक्त निर्देश के परिपालन में आयुक्त श्री रणबीर शर्मा ने नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत उपरोक्तानुसार वस्तुएं के विनिर्माण व उपयोग पर प्रतिबंध आदेश जारी किया है।